



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58029

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2696/2026

दीपक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश कुमार यादव, शिवम यादव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 74/2026, धारा 69, 89, 352, 351(2) बी.एन.एस. 2023, थाना- अलीनगर, जिला चंदौली के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
 - i. आवेदक और पीड़िता पिछले छह वर्षों से स्वीकार्य रूप से दीर्घकालिक संबंध में थे।
 - ii. पीड़िता एक विवाहित महिला हैं जिसके दो बच्चे हैं, और उसकी एक बेटी का विवाह भी हो चुका है।
 - iii. पीड़िता ने आवेदक से 1 लाख रुपये उधार लिए थे और उसे वापस करने से इनकार कर रही थी। इसी कारण से, उक्त राशि के पुनर्भुगतान से बचने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई है।
 - iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में आवेदक एकमात्र नामित अभियुक्त है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण की पुष्टि करता है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि पीड़िता एक विवाहित महिला है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। घटना की सटीक तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई है, और आवेदक तथा पीड़िता के बीच लगभग छह वर्षों का दीर्घकालिक संबंध बताया गया है। आवेदक और पीड़िता प्रेम संबंध में थे, और यह आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता ने आवेदक पर विवाह के लिए दबाव डाला, तो उसने विवाह की रस्म दर्शाने के लिए पीड़िता को "सिंदूर" लगाया।
7. इस न्यायालय की राय में, पीड़िता एक विवाहित महिला होने के कारण वैध विवाह नहीं कर सकती थी। छह वर्षों का दीर्घकालिक संबंध स्वीकार किया गया है, और जैसा कि धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में उल्लेख किया गया है, पीड़िता पिछले तेरह वर्षों से विवाहित है।
8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयान शामिल हैं, प्रथम दृष्टया बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
9. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
10. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- दीपक कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"